



/Fax- + 05966-220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

पत्रांक: 1995 / 10 सी 0
सेवा में,

दिनांक: 06 / 10 / 2023

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी 0 133.00 से किमी 0 170.00 (बेरीनाग- चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online No. FP/UK/Road/151113/2022)

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक सं० 8बी/यू.सी.पी./06/73/2022/एफ.सी./463 दिनांक 06.07.2023
महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी 0 133.00 से किमी 0 170.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त संख्या-2 शर्त सं० 2 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.224 हे० अवनत वन भूमि हल्द्वानी क० 02-10.00 है०, पैसिया क० 01- 6.224 है०, पन्द्रपाली क० 01-15 है० एवं पालडी क० 08 - 13.00 है० पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पर्व में किसी	शर्त संख्या-3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु० 1,98,47,333.00 (एक करोड़ अठानवे लाख सैंतालीस हजार तीन सौ तैंतीस रु० मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं० 3)। वन विभाग से सम्बन्धित है।

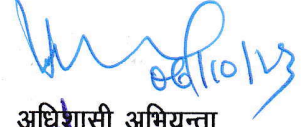
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र का राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त संख्या-3 से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या-4 से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
	5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.112 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या-5 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,85,87,499.00 (दो करोड़ पिचासी लाख सतासी हजार चार सौ नित्यानवे) की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)। शर्त संख्या-5 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक नं0 4)।
6	State Government will ensure that the Wildlife Management Plan is in accordance with the guidelines of the MoEF&CC dt. 16.01.2022 and is in consonance with the bio-engineering measures suggested by Wildlife Institute of India in order to mitigate the impact of the linear infrastructure project on wildlife. The Project Proponent will submit an undertaking to deposit requisite amount for the implementation of the Wildlife Management Plan.	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी Wildlife Management Plan हेतु अपेक्षित धनराशि जमा करवायेगी (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 5395 वृक्षों एवं 1201 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में 5395 वृक्षों एवं 1201 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ₹0 4,84,34,832.00 (चार करोड़ चौरासी लाख चौतीस हजार आठ सौ बत्तीस) की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 3)।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward bearings अंकित हो।	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

	जाएगी।	भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त संख्या-18 शर्त सं0 20 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या-23 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-24 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या-25 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।



अधिशाली अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक

/

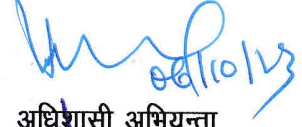
तददिनांक

- 1- मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय प्रथम तल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) बिल्डिंग नियर आई0एस0बी0टी0 सहारनपुर रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- सहायक अभियन्ता, चतुर्थ रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।



अधिशाली अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक

/

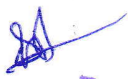
तददिनांक

- 1- मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय प्रथम तल इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) बिल्डिंग नियर आई0एस0बी0टी0 सहारनपुर रोड़, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- सहायक अभियन्ता, चतुर्थ रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

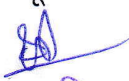
प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।


सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिसूची अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। इस कथन से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियन्ता
रा०म०स०ख०ले०नि०वि०
रा०म०स०ख०ले०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिसारी अभियन्ता
रा०म०स०ख०ले०नि०वि०
रा०म०स०ख०ले०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
सहायक अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिसारी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिशायी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

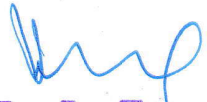

सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिसारी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Wildlife Management Plan हेतु अपेक्षित धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिसूची अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 5395 वृक्षों एवं 1201 Saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
रा० मा० खपड़, ला० नि० वि०,
रानीखेत।


अधिसायी अभियन्ता
रा० मा० खपड़, ला० नि० वि०,
रानीखेत।

Ministry :																
024 - ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS																
Grant: - All-																
PAO: 034415 - PAO(NH), New Delhi																
DDO: 23444 - Engineer Liaison Officer																
Period: 25-06-2023 till 22-09-2023																
Figures In: Actuals																
External Source: - All																
IEC Code:																
Actuals																
Sr. No.																
Sanction No.																
Bill No.																
Sanction Amount																
Beneficiary Account No.																
Beneficiary Name																
IFSC Code																
Accredited Bank																
PFMS Transaction Id																
PAO/CDO DSC date & Time Stamp																
Debit Status																
Credit Status																
Scroll Status																
Scroll Date																
UTR No. (Bank Transaction Id)																
Reason For Failure																
Physically Verified																
External Source Name																
413																
NH/O/378																
CP0000603																
4,84,34,832.00																
150886151113401																
4,84,34,832.00																
UTTARANCHAL CAMPA																
UBIN0996335																
CANARA BANK																
5092300146067																
18-09-2023 15:31:22																
Success																
Success																
Success																
18-09-2023																
CNBRIS2023091863																
757873																
Yes																

सहायक अभियन्ता
राजमार्ग खण्ड, लोन्गिनिवि
रानीखेत

अध्यायी अभियन्ता
राजमार्ग खण्ड लोन्गिनिवि
रानीखेत (अल्मोड़ा)

बिल सं - ४

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०मि०वि०,
रानीखेत।


अधिकासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०मि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिसूची अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत
सहायक अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अध्यासी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत
अध्यासी अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
रा० मा० खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।


अधिकासी अभियन्ता
रा० मा० खण्ड, लो० नि० वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

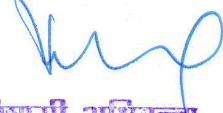

सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अध्यासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिकासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत
सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिकासी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत
अधिकासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
रा० मा० खण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत।


अधिकांसी अभियन्ता
रा० मा० खण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

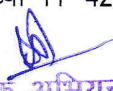
प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।


सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, ला०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, ला०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिकांसी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, ला०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, ला०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

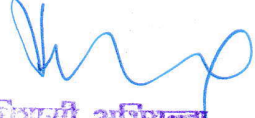

सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिसूची अभियन्ता
राष्ट्रीय अधिसूची अभियन्ता, लो०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

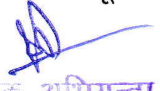
प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

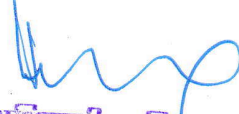

सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिशाली अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

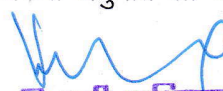

सहायक अभियन्ता
 रा० मा० खण्ड, ला० नि० वि०
 रानीखेत।


अधिकासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड ला० नि० वि०
 अधिकासी अभियन्ता,
 रा० मा० खण्ड, ला० नि० वि०,
 रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।


अधिशारी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


अधिशारी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

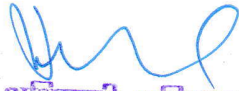


अधिरासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
 रा० मा० खण्ड, ला० नि० वि०,
 रानीखेत।


अधिकासी अभियन्ता
 रा० मा० खण्ड, ला० नि० वि०,
 रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

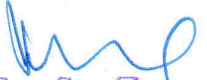

सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
सहायक अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिसूत्री अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
अधिसूत्री अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
सहायक अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिकांसी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
अधिकांसी अभियन्ता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

पत्रांक 1936 / 10सी०
सेवा में,

दिनांक 28/10 /2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

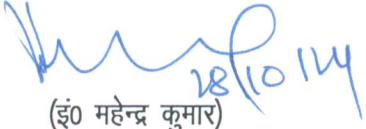
विषय: जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी० 133.00 से किमी० 170.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/151113/2022).

संदर्भ: भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/73/2022/एफ.सी. दिनांक 22.10.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी० 133.00 से किमी० 170.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) मोटर मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली 22.112 है० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/151113/2022) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति Ro-MoEF द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रदान की गई थी, में 1.521 है० वन क्षेत्र बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण के आधिनि होने के कारण स्वीकृत शर्तों में कतिपय संशोधन Ro-MoEF द्वारा दिनांक 24.09.2024 को सम्पन्न REC की बैठक के दौरान किया गया है। जिसकी अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	The State Forest Department shall levied NPV as applicable for wildlife area and the amount shall be deposited in CAMPA account only.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)
2	The State Forest Department and User Agency shall ensure that all the conditions of NBWL, CWLW and SBWL shall be complied with strictly and the mitigative measures/ under passes/ over passes to be constructed as per the direction of competent authority.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)
3	The user agency shall deposit amount @ 2% for wildlife management plan and @ 0.5% for Soil & Moisture Conservation plan of total project cost to the extent of forest land involved in wildlife area.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(डॉ० महेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

पत्रांक /

तददिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता, चतुर्थ रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक 28/10 /2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय: जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी0 133.00 से किमी0 170.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/151113/2022).

संदर्भ: भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/73/2022/एफ.सी. दिनांक 22.10.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी0 133.00 से किमी0 170.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) मोटर मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाली 22.112 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/151113/2022) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति Ro-MoEF द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रदान की गई थी, में 1.521 है0 वन क्षेत्र बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण के आधिनि होने के कारण स्वीकृत शर्तों में कतिपय संशोधन Ro-MoEF द्वारा दिनांक 24.09.2024 को सम्पन्न REC की बैठक के दौरान किया गया है। जिसकी अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	The State Forest Department shall levied NPV as applicable for wildlife area and the amount shall be deposited in CAMPA account only.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)
2	The State Forest Department and User Agency shall ensure that all the conditions of NBWL, CWLW and SBWL shall be complied with strictly and the mitigative measures/ under passes/ over passes to be constructed as per the direction of competent authority.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)
3	The user agency shall deposit amount @ 2% for wildlife management plan and @ 0.5% for Soil & Moisture Conservation plan of total project cost to the extent of forest land involved in wildlife area.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(इं0 महेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक 1936/10 सी0

तददिनांकित

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता, चतुर्थ रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में लागू एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जायेगी।



सहायक अभियंता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।



अधिशाली अभियंता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NBWL, CWLW & SBWL की समस्त शर्तों का पालन वन विभाग के निर्देशानुसार किया जायेगा।



सहायक अभियंता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।



अधिशाली अभियंता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नियमानुसार Wildlife Management Plan & Soil Moisture Conservation Plan की धनराशि जमा की जायेगी।



सहायक अभियंता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।



अधिशाली अभियंता,
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।